यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा के माह मई/2013 से अक्टूबर/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्नाराम लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.11.2017 से 15.11.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जे0पी0 गैरोला वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23/05/2013 से 29/05/2013 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2006 से 04/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- सलंग्न

(II) (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14			29.82	25.54	69.96	69.96		4.28
2014-15	--	--	30.53	27.49	199.00	199.00	--	3.04
2015-16	--	--	32.47	29.82	147.11	147.11	--	2.66
2016-17	--	--	35.59	32.09	106.34	106.34	--	3.50
2017-18 (अक्टूबर/2017 तक)	--	--	26.81	17.63	68.73	15.65	--	62.26

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्र्तगत इकाई आती है, उसे इंगति किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. अपर सचिव खेल 3. निदेशक खेल 4. अपर निदेशक खेल 5. संयुक्त निदेशक खेल 6. उपनिदेशक खेल 7. सहायक निदेशक खेल 8. जिला क्रीड़ा अधिकारी 9. उप-क्रीड़ाधिकारी 10.

जनपदस्तरः- 1. जिला क्रीड़ा अधिकारी 2. कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **01** :- **₹ 158.46** लाख के लागत से बैडमिंटन हाल की निर्माण बिना **MOU** किये।

वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15/12/2008 के अनुसार ग्राहक विभाग एवं कार्यदायी संस्था के बीच निर्धारित प्रोफार्मा पर एम0ओ0यू0 किया जाना आवश्यक है।

शासनादेश सं0 287/जि0यो0क्री0/2014-15 दिनांक 12/03/2015 द्वारा स्पोर्टस स्टेडियम अल्मोड़ा में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य हेतु ₹ 158.46 लाख की लागत स्वीकृति की गयी। इस कार्य के लिये परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया। उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की माह अक्टूबर 2017 की प्रगति आख्या के अनुसार कार्यदायी संस्था को लागत (स्वीकृत) को पूर्ण धनराशि ₹ 158.46 हस्तगत करा दी गयी थी एवं कार्य की भौतिक प्रगति 65% थी। आख्या के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि जून 2017 दर्शायी गयी जबकि पूर्व में प्रेषित आख्या में जून/2017 के स्थान पर फरवरी/2017 दर्शाया गया था। इस प्रकार कार्य की प्रगति माह अक्टूबर/2017 को भाग 65% थी एवं कार्य पूर्ण किये जाने की तिथियों में लगातार परिवर्तन होने के बावजूद भी कार्य विलम्ब से चल रहा था।

लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कार्यदायी संस्था से कार्य के समय से पूर्ण न होने के सम्बन्ध में एवं कार्य पूर्ण होने की तिथियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में वार्ता (पत्राचार) किया जायेगा साथ ही MOU के सम्बन्ध में इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया।

इकाई द्वारा MOU के सम्बन्ध में उत्तर न दिये जाने से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ MOU नहीं किया गया जिस कारण इकाई कार्यदायी संस्था के ऊपर कार्य समय से पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में कोई दबाव नहीं बना पा रही।

इस प्रकार बिना MOU के समय से कार्य पूर्ण न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **02** :- निष्प्रयोज्य सामग्रियो की नीलामी न किया जाना **₹ 43.58** लाख।

निदेशक खेल के पत्रांक सं0 366/बै पत्रा/2011-12/दे.दून दिनांक 10 मई 2011 में यह निर्देशित किया गया है कि निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अवश्य करायी जाय। इस हेतु सामग्रियो की निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु एक निरीक्षण समिति तथा निष्प्रयोज्य सामग्रियो की नीलामी हेतु एक अलग से समिति बनायी जाय तथा निष्प्रयोज्य सामग्रियो की अनुमोदित सूची की एक प्रति मुख्यालय भी भेजी जाये।

जिला क्रीड़ी अधिकारी अल्मोड़ा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया है कि इकाई के पास ₹ 43.58 की निष्प्रयोज्य सामग्रि अद्यतन नीलामी हेतु है। विगत लेखापरीक्षा में भी यह प्रकरण संज्ञान लाया गया था जिसके अनुसार वर्ष 2004-05 (जून 2004) में अन्तिम वार निष्प्रयोज्य सामग्रि की नीलामी की गयी थी इसे इंगति किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है, विभाग का उत्तर मान्य नही है। क्योंकि विगत लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण उठाये जाने लगभग चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी नीलामी की प्रक्रिया नही की गई साथ ही विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन नही किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **03 :- ₹ 80.34** लाख धनराशि का कार्यदायी संस्था के पास अवरोधन एवं समझौता ज्ञापन हस्तान्तरित न किया जाना।

वित्त वर्ष 2015-16 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जिला क्रीड़ा अधिकारी को उनके प्रस्ताव के अनुरूप स्पोटर्स स्टेडियम अल्मोड़ा में जिस हाल के निर्माण हेतु ₹ 60.47 लाख की वित्तीय वं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एवं इस कार्य हतु ₹ 38.46 लाख एवं ₹ 21.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिसे कार्यदायी संस्था, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को मार्च 2016 में उपलब्ध करा दिया गया।

लेखा अभिलेकों की जाँच में पाया गया कि आतिथि तक कार्य को प्रारम्भ नही किया जा सका है तथा प्रारम्भिक स्तर पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया हो जाँच में आगे पाया गया कि भूमि की उपयुक्ता सुनिश्चित किये बिना ही कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करा दी गई। प्रस्तावित भूमि को भू वैज्ञानिकों द्वारा उक्त निर्माण हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। इसी बीच अप्रैल 2017 में ₹ 20.34 लाख की धनराशि पुनः कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई। इस प्रकार कुल ₹ 80.34 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला क्रीड़ा अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचना दी जायेगी। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन भी हस्तान्तरित नही किया गया। और उक्त धनराशि पर कितना ब्याज अर्जित किया गया, इसकी भी जानकारी विभाग के पास नहीं है।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग ने न तो उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की और न ही समझौता ज्ञापन MOU हस्तान्तरित किया गया। उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा कोई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट भी कार्यदायी संस्था से प्राप्त नही की गई।

अतः उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना एवं समझौता ज्ञापन हस्तान्तरित किये बिना कार्यदायी संस्था को ₹ 80.34 लाख की धनराशि का हस्तान्तरण एवं अवरोधन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **04** :- आपदा के प्रावधानों का उल्लंघन एवं **₹ 17,454/-** की **TDS** की कटौती न किया जाना।

आपदा अधिकारी की धारा 194c(i)(II) के अनुसार किसी व्यक्ति या HUF के अतिरिक्त यदि किसी को कोई भुगतान किया जाता है तो भुगतान कर्ता इस धनराशि में से 2% की आयकर TDS कटौती कर धनराशि को आयकर विभाग के खाते में जमा करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा जाँच मे पाया गया कि मार्च 2015 एवं मार्च 2016 में विभिन्न फर्मो को कुल ₹ 8,72,687/- का भुगतान किया गया। जिसमें TDS की कटौती नही की गई है। (विवरण संलग्न) विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इकाई द्वारा विगत अवधि में भी TDS की कटौती नही की गई है संलग्न विवरण के अनुसार ₹ 8,72,687/- पर 2% की दर से ₹ 17,454/- की कटौती की जानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने स्वीकार किया कि TDS सम्बन्धी किसी भी प्रक्रिया का पालन इकाई द्वारा नही किया जा रहा है।

अतः ₹ 17,454/- की TDS कटौती एवं आयकर के प्रावधानों का पालन नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
2002-03	--	1
15/2013-14	--	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमती रशिका सिद्दीकी	जि0क्री0अ0	08.06.11 से 14.08.15
2.	श्री सी.एम. वर्मा	जि0क्री0अ0	14.08.15 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला क्रीडा अधिकारी अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.